

प्रेषक,

सुरजन,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा विभाग,  
उ०प्र०,कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक 2 जुलाई, 2018

विषय:- शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13773/ई-प्लान-12 ए 2018-19 दिनांक 26.06.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-75/2018/873/सोलह-3-2018-227(बी)/91, दिनांक 05.06.2018 एवं शासनादेश 78/2018/929/सोलह-3-2018-227(बी)/91, दिनांक 12.06.2018 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल शैक्षिक सत्र 2018-19 में निम्नलिखित तीन राजकीय पालीटेक्निकों को नये पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान करते हुये शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में कुल 36,810 सीटों की प्रवेश क्षमता निर्धारित करने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता
1	एम०एम०आई०टी० शामिली (संचालन राजकीय पालीटेक्निक विजनौर)	पेपर एण्ड पल्प टेक्नालोजी	60
2	राजकीय पालीटेक्निक आलिया सीतापुर	कारपेट टेक्नालोजी	60
3	राजकीय पालीटेक्निक तालबेहट ललितपुर	माइनिंग इंजीनियरिंग	30

2. शासनादेश दिनांक 05.06.2018 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबंध यथातव् लागू रहेंगी।

भवदीय,  
सुरजन  
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर।
- 2- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
- 3- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, कानपुर।
- 4- संबंधित राजकीय पालीटेक्निक (द्वारा निदेशक)।
- 5- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(कुलदीप बाबू)  
अनु सचिव